न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 116/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

पिरामल केपीटल एण्ड हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड) जरिये प्राधिकृत अधिकारी पुनित बोहरा
शाखा कार्यालयः– 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड़, जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **दौलत राम सोनी**
   आवासीय पताः– वार्ड नं. 5 सोनी कॉलोनी, खसरा नं. 752, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान
   कार्यालय पताः– टिटेड़ा मन्दिर के पास, सीकर बाजार, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान
   सम्पत्ति पताः– खसरा नं. 752, वार्ड नं. 5/6, सोनी कॉलोनी, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान
2. **मैना देवी**
   आवासीय पताः– वार्ड नं. 5 सोनी कॉलोनी, खसरा नं. 752, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान
3. **आशीष सोनी**
   आवासीय पताः– वार्ड नं. 5 सोनी कॉलोनी, खसरा नं. 752, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः– 07 जुलाई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री अरविन्द कुमार कुमावत** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **दौलत राम सोनी, मैना देवी** एवं **आशीष सोनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **दौलतराम सोनी** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **खसरा नं. 752, वार्ड नं. 5/6, सोनी कॉलोनी, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 280 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में आम रास्ता 12 फीट चौडा, दक्षिण दिशा में प्रदीप कुमार का भूखण्ड, पूरब दिशा में विश्वनाथ सोनी की भूमि एवं पश्चिम दिशा में सत्येन्द्र तिवाडी का भूखण्ड स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक बनाकर **कुल ₹16,66,516/— (अक्षरे रूपये सोलह लाख छियासठ हजार पांच सौ सोलह)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **29.06.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **29.06.2021** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **दौलत राम सोनी, मैना देवी** एवं **आशीष सोनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **दौलतराम सोनी** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **खसरा नं.**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

752, वार्ड नं. 5/6, सोनी कॉलोनी, श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 280 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में आम रास्ता 12 फीट चौडा, दक्षिण दिशा में प्रदीप कुमार का भूखण्ड, पूरब दिशा में विश्वनाथ सोनी की भूमि एवं पश्चिम दिशा में सत्येन्द्र तिवाडी का भूखण्ड स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **07 जुलाई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर